राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 10 मई, 1985

क्रमांक 585-ज(II)-85/14848.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री मुन्शा राम, पुत्र श्री सांवल राम, गांव बिरोहड़, तहसील कोसली, जिला रोहतक, को रबी, 1966 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक, तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 562-ज-(II)-85/14852.—श्री सीता राम, पुत्र श्री दीवान चन्द, मकान नं० 10, मुहल्ला हरिपुरा, झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 27 फरवरी, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सीता राम की मु्बलिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1941-ज-(II)-71/7820, दिनांक 1 मार्च, 1972 तथा 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती दुर्गा देवी के नाम खरीफ, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 560-ज-(II)-85/14860.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्री राम सरूप, पुत्र श्री मंगला राम, गांव नीमली, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

ओ० पी० सांगड़ा,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

श्रम विभाग

दिनांक 24 अप्रैल, 1985

सं० ओ०वि०/फरीदाबाद/168-84/18108.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० 1. पोलीटैक्स इन्टरप्राइसिस 2. बी. एम. इन्डस्ट्रीज, प्लाट नं० 387, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या संस्था के श्रमिक प्रतिवर्ष दो टैरीकोट की वर्दी लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?
2. क्या संस्था के श्रमिक धुलाई भत्ता 20 रुपये प्रत्येक माह लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?
3. क्या संस्था के श्रमिक शिनाखत पत्र लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?
4. क्या श्रमिक अपनी पिछली सेवा से सम्बन्धित नियुक्ति-पत्र लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

एम० सेठ,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।